

विज्ञानि

1(6)(20)

1008/73

दिनांक २०. $\frac{6}{73}$ सन् ७३

प्रति: यह उक्त कृत अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार या पोषित करती है कि कृषि अधिनियम के धारा 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और वन्य भूमि पर लागू होंगे जो समस्त उचित शत कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sol. 2. सिद्ध

उप शासन सचिव

राजाप (च) विभाग

शासन सचिवालय

जमशेर

अनुषूची

क्र.	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	बीडा	क्षेत्रफल वनखण्ड या बीडा एकड़ों में	विशेष विवरण
पुनः	गिरिया	आमरीवा	भालावालो-77 गुडा देवदा लालपुरा बूटल बली	323.90 350.89 868.28 288.00 9181.06 <u>3646.13</u>	सोसा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) सलग्न है.
			या	2.60 वर्ग मील	
			या	98.46 वर्ग कि०मी०	
			सच्ची प्रतिलिपि		
			रव राम बरबक		
			आवागमन, पालिका, उदरगुप्त		